

# उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़




आदेश-पत्रक

वाद संख्या

: Miscellaneous Appeal- 07/13

पक्षकार का नाम

: हरिहर प्रसाद वगैरह बनाम गणेश कुम्हार वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	<p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ में विविध वाद संख्या-08/07-08/22/08-09 राज्य बनाम गणेश कुम्हार एव अन्य में दिनांक 21.08.2012 को पारित आदेश के आलोक में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील दाखिल किया गया है। वाद अंगीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग करें। अभिलेख दिनांक 18.01.2013 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">                       उपायुक्त,                      रामगढ़                 </p>	<p style="text-align: right;">24 7-01-13</p> <p style="text-align: right;">31 7-01-13</p>
18-01-13	<p>सार्वजनिक अपकाश होने के कारण अभिलेख दिनांक 08-02-13 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">प्र० द०डा०</p>	
08-02-13	<p>अपीलार्थी - अनुपस्थित।                      विपक्षी - वकालतनामा के साथ वकालत हाजरी।                      8/3/13 </p>	
8-03-13	<p>अपीलार्थी - अनुपस्थित। वाद को वकालत हाजरी।                      विपक्षी - वकालत हाजरी।                      16.4.13. </p>	
16-04-13	<p>उपय पक्ष वकालत हाजरी। P.O. अ-प कार्य में व्यस्त अभिलेख दिनांक 10-05-13 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">प्र० द०डा०</p>	



क्र. को क्रम  
दिनांक और  
तारीख.

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

21/06/2018

अपीलार्ची - अनुपस्थित  
विपक्षी - अनुपस्थित  
पी०पदा० अन्य कार्य में व्यक्त।  
दिनांक 29/06/2018 को रखें।

प्र. ३  
प्र. ३

29/06/2018

अपीलार्ची - अनुपस्थित  
विपक्षी - अनुपस्थित  
पी०पदा० अन्य कार्य में व्यक्त।  
दिनांक 18/07/2018 को रखें।

18/07/2018

अपीलार्ची - अनुपस्थित  
विपक्षी - अनुपस्थित  
आदेश हेतु रखें।

प्र. ३  
प्र. ३

18/7/18

18/07/18

-: आदेश :-

उभय पक्ष पिछले कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वाद की निस्तार हेतु इनकी रुचि नहीं रह गई है। फलतः उभय पक्षों की वाद के प्रति उदासिनता को देखते हुए बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्रवाई बंद की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

480 विधि  
24/07/18

उपायुक्त,  
रामगढ़।

18/7/18